

U
05/13/26

6/05/26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरोक्त प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 18/05/26 को पेश हो

U
06/05/2026

18/5/26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्राप्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम सलाहिया तहसील सुनल की जमाबंदी संवत् 2074-77 के अनुसार खाता स० 195 कित्ता 01 रकबा 0-5438 हैक्टो एवं खाता स० 335 कित्ता 5 रकबा 1-1635 हे० भूमि प्राची एवं अप्राची क्रम 1 से 4 का सामग्री खातेदारों में दर्ज रिकार्ड हैं। सह लुत्थापित सिद्ध है कि संयुक्त खाते की भारणी से प्रत्येक भाग पर प्रत्येक सदखातेदार का समान एवं व भागीदार निहित होने से एक सदखातेदार के विना अन्य सदखातेदारों को अस्थाई निषेधात् सामान्यः (Generally) जारी की जाती




हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

चाहें। हरगत प्रकरण प्रार्थी को अप्रार्थी
1 व 2 द्वारा खण्ड 624 का अप्रार्थी 5 व 6 को
दिये गये किसी बँचान के बदले में खाना
एन 335 किता 5 में से 1 बीटा आधीक प्रार्थी
डोन का कोई भी documentary and/or
oral evidence प्रार्थी द्वारा पत्रिपत्नी पर प्रेश
नही दिया गया है।

परिभाषित: प्रार्थी को पक्ष में ना तो
प्रकरण प्रथम दुरुष्ठा साबित है और ना ही
सुविधा का संतुलन साबित है अतः प्रार्थी
का प्रण पत्र u/s शि 2 RT Act r.w. 0.39 R1820C
स्वकारिण किया जाता है। प्रकरण पैलामुमि
होकर नम्बर से कम होकर मूलवत् से
साथ संतुलन है।




18/5/2026

उपखण्ड अधिकारी
पिड़या, जिला झालंधर (सज्ज)